राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक व छिद्रण)
खान एवं भू विज्ञान विभाग, बी–3/119, सुदर्शना नगर, बीकानेर
दूरभाष – 0151–2226614

क्रमांक – अ.अ.(यां. व छि.)/बीका/आ.सो.–सूजस/2025–26/1239 **दिनांक** : 09.01.2026

प्रेषिति –

श्रीमान् निदेशक महोदय,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
जयपुर।

विषय :– आउटसोर्सिंग कार्य वर्ष 2025–26 की निविदा प्रकाशन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालस की निविदा सूचना बिड का प्रकाशन एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में नियमानुसार न्यूनतम आकार में कराने की व्यवस्था करावें।

संलग्न – सात प्रपत्र ।

सादर सहित!

भवदीय

(मनीष दशोरा)
अधीक्षण अभियंता (यां. व छि.),
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,बीकानेर ।

क्रमांक – अ.अ.(यां. व छि.)/बीका/आ.सो.–सूजस/2025–26/1240-1248 **दिनांक** :09.01.2026

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान् महालेखाकार, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक महोदय, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान), खान एवं भूविज्ञान विभाग, बीकानेर।
5. श्रीमान् नोडल अधिकारी महोदय, निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
6. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता (यां. व छि.), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
7. सूचना पट्ट कार्यालय हाजा।
8. सैनिक कल्याण बोर्ड, बीकानेर।
9. रक्षित पत्रावली।

(मनीष दशोरा)
अधीक्षण अभियंता (यां. व छि.),
खान एवं भू–विज्ञान विभाग, बीकानेर ।

Signature valid
Digitally signed by Manish Dashora
Designation : Deputy Drilling Engineer
Date: 2026.01.09 15:19:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19848201
eSign 1.0

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक व छिद्रण),
खान एवं भू विज्ञान विभाग, बी–3 / 119 सुदर्शना नगर, बीकानेर ।
दूरभाष – 0151–2226614

कमांक – अ.अ.(यां. व छि.) / बीका / आ.सो.–सूजस / 2025–26 / 1238 **दिनांक** : 09.01.2026

खुली बिड संख्या 1 वर्ष 2025–26

इस कार्यालय के अधीन संचालित विभिन्न छिद्रण परियोजनाओं हेतु वर्ष 2025–26 के लिये श्रम विभाग में पंजीकृत सेवा प्रदाताओं से आउटसोर्सिंग के आधार पर छिद्रण यंत्र / उपकरणों की चौकीदारी एवं अन्य सहायक सेवायें उपलब्ध करवाने हेतु मोहरबंद बिड्स आमंत्रित की जाती है । बिड फार्म का विक्रय कार्यालय में दिनांक 12.01.2026 से दिनांक 19.01.2026 तक कार्यालय समय में किया जायेगा या विभागीय बेबसाईट http://www.mines.rajasthan.gov.in/ एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल (http:sppp.raj.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये बिड फार्म का शुल्क 200 / – रू0 पृथक से बिड फार्म के साथ कार्यालय में जमा कराना होगा । मोहरबन्द बिड्स दिनांक 19.01.2026 को अपरान्ह 12 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन सायंकाल 2 बजे उपस्थित बिडर्स के समक्ष खोली जायेगी । बिड की अनुमानित लागत मूल्य 4,50,000 / – रू0 है एवं बिड फार्म शुल्क 200 / – रू0 है । बिड की अन्य शर्ते एवं कार्य विवरण आदि किसी भी कार्यदिवस के दौरान इस कार्यालय में उपस्थित होकर देखा जा सकता है ।

(मनीष दशोरा)
अधीक्षण अभियंता (यां. व छि.),
खान एवं भू–विज्ञान विभाग, बीकानेर ।

NIB – MIN2526A0030
UBN – MIN2526SSOB00059

RajKaj Ref No.: 19848201
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Manish Dashora
Designation : Deputy Drilling Engineer
Date: 2026.01.09 15:19:34 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय,अधीक्षण अभियन्ता(यॉ.एवं छि.) खान एवं भूविज्ञान विभाग
बी–3 / 119, सुदर्शना नगर, पवनपुरी, बीकानेर (राज.)
Email- se.mdbikaner@rajasthan.gov.in Phone No. 0151-2226614

क्रमांकः–अ.अ.(यॉ.छि.) / बीका / प–आ.सो.अनु / 2025–26 / 1237 दिनांकः– 9/1/2026

खुली निविदा सूचना संख्या 1 / 2025–26

इस कार्यालय के अधीन संचालित विभिन्न छिद्रण परियोजनाओं हेतु वर्ष 2025–26 के लिये श्रम विभाग में पंजीकृत सेवा प्रदाताओं से आउट सोर्सिंग के आधार पर छिद्रण यंत्र / उपकरणों की चौकीदारी एवं अन्य सहायक सेवायें उपलब्ध करवाने हेतु मोहरबंद बिडस आमंत्रित की जाती है ।

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित कीमत (लाखों में)	बिड सिक्यूरीटी राशि(रू)	निविदा प्रपत्र शुल्क (रू)
1	आउट सोर्सिंग के आधार पर छिद्रण यंत्र / उपकरणों की श्रमिकों द्वारा चौकीदारी एवं अन्य सहायक सेवाऐं मशीन प्रभारी के निर्देशानुसार उपलब्ध कराना	4.50	9000 / –	200 / –

1. निविदा का पूर्ण विवरण एव शर्ते विभागीय वेबसाईट http://www.mines.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते है।
2. निविदा इस कार्यालय से दिनांक **12.01.2026** प्रातः 9:30 बजे से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि दिनांक **19.01.2026** दोपहर 12:00 बजे तक है। निविदाऐं दिनांक **19.01.2026** को दोपहर 2:00 बजे खोली जायेगी।

(मनीष दशोरा)
अधीक्षण अभियन्ता(यॉ.व छि)
बीकानेर ।

Signature valid
Digitally signed by Manish Dashora
Designation: Deputy Drilling Engineer
Date: 2026.01.09 15:19:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19848343
eSign 1.0

राजस्थान सरकार
कार्यालय,अधीक्षण अभियन्ता(यॉ.एवं छि.) खान एवं भूविज्ञान विभाग
बी–3 / 119, सुदर्शना नगर, पवनपुरी, बीकानेर (राज.)
Email- se.mdbikaner@rajasthan.gov.in Phone No. 0151-2226614

निविदादाताओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश :–

1. निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदादाता द्वारा सावधानी पूर्वक निविदा दस्तावेज, खुली निविदा सूचना, कार्य की सेवा प्रदायगी की सामान्य शर्ते एवं निर्देश, निविदादाताओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश, घोषणा पत्र, अनुबंध A,B,C,D व वित्तीय निविदा प्रपत्र को प्राप्त व अध्ययन कर निविदाऐं प्रस्तुत की जानी चाहिए।
2. समस्त निविदा कार्यवाही राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के अन्तर्गत की जा रही है । अतः इनके प्रावधान प्रभावी रहेगें ।
3. निविदा निर्धारित निविदा प्रपत्र में ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, अन्यथा अस्वीकार कर दी जावेगी। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से 200 / –रू0 निविदा शुल्क जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदायें दिनांक 12.01.2026 से अधीक्षण अभियन्ता (यॉ.एवं छि), खान एवं भूविज्ञान विभाग, बीकानेर के कमरा नम्बर 02 में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र जिस नाम से जारी किये जायेंगें उसी के द्वारा प्रस्तुत किये जा सकेंगें। निविदा विभागीय वेबसाईट http://www. mines.rajasthan.gov.in व http://sppp.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए निविदा शुल्क हेतु राशि रु0 200 / –(यदि निविदा कार्यालय में नकद राशि जमा करा कर प्राप्त नही की गई हो तो) का डिमाण्ड ड्राफट / बैंकर चैक, "Superintending Engineer (mechanical & Drilling" payable at Bikaner." के नाम से देय, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा ।
4. निविदायें दिनांक 19.01.2026 प्रातः 12:00 बजे तक अधीक्षण अभियन्ता (यॉ.एवं छि), खान एवं भूविज्ञान विभाग, बीकानेर के कमरा नम्बर 02 में जमा करवायी जा सकेगी। डाक / कुरियर से प्रेषित निविदाऐं भी दिनांक 19.01.2026 प्रातः 12:00 बजे तक कार्यालय के कमरा नम्बर 02 में प्राप्त होनी आवश्यक है। देरी से प्राप्त निविदाओं पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जावेगा। निविदा फार्म सही तरीके से प्रत्येक कॉलम की पूर्ति करते हुये भरा जाये किसी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं की जाये। ओवरराईटिंग होने पर लधु हस्ताक्षर करें । निविदायें अंक और शब्दों दोनों में भरनी अनिवार्य हैं। अपूर्ण निविदा तथा सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा फॉर्म एवं उसके साथ संलग्न प्रत्येक दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता को हस्ताक्षर करने अनिवार्य हैं।
5. बिड सिक्युरिटी राशि बेंकर चैक / पे–आर्डर अथवा डी0डी0के रूप में ही स्वीकार होगी । बिड सिक्योरिटी राशि के रूप में किसी भी प्रकार की बैंक गारन्टी स्वीकार नहीं की जावेगी । केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपकम को बिड सिक्योरिटी में पूर्ण छूट है । नियमानुसार बिड सिक्युरिटी राशि निविदा की अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत (रू0 9000 / –) होगी जो कि प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ ही जमा करवानी होगी । बिना बिड सिक्युरिटी राशि के किसी भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा । डिमाण्ड ड्राफट / बैंकर चैक, "Superintending Engineer (mechanical & Drilling)" payable at Bikaner." / अधीक्षण अभियंता (यां. व छि.), बीकानेर के नाम से देय होंगे। निविदा शुल्क नॉन रिफन्डेबल होगा।

मनोज

Anish
09/01/2026

6. निम्नलिखित मामलों में बिड़ सिक्युरिटी जब्त कर ली जाएगी

1. जब निविदाकर्ता निविदा खोलने के बाद लेकिन निविदा की स्वीकृति से पहले निविदा को वापस ले लेता है या संशोधित करता है।
2. जब निविदाकर्ता निर्दिष्ट समय के भीतर निर्धारित अनुबंध यदि निष्पादित नहीं करता है।
3. जब निविदाकर्ता आपूर्ति आदेश दिए जाने के बाद परफोरमेन्स सिक्युरिटी जमा नहीं करता है।
4. जब वह निर्धारित समय के भीतर आदेश के अनुसार सेवा प्रदायगी शुरू करने में विफल रहता है।

7. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी करने की तिथी से 7 दिन में रु0 500/–का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेन्ट करना होगा एवं कार्यादेश में अंकित राशि की 5 % राशि परफोर्मेन्स सिक्युरिटी के रूप में जमा करानी होगी। यदि परफोरमेन्स सिक्युरिटी की राशि में कोई संशोधन होता है तो सफल निविदादाता को नियमानुसार संशोधित राशि जमा करानी होगी। एग्रीमेन्ट से सम्बन्धित समस्त व्यय का वहन निविदादाता को ही करना होगा। परफोर्मेन्स सिक्युरिटी, "Superintending Engineer (mechanical & Drilling)" payable at Bikaner." के नाम पर देय जमा करानी होगी।

8. निम्नलिखित मामलों में पूर्ण या आंशिक रूप से परफोरमेन्स सिक्युरिटी राशि जब्त की जा सकती है
- जब निविदा/ अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया जाता है।
- जब निविदाकर्ता पूरी सेवाएं संतोषजनक ढंग से करने में विफल रहता है।

9. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्राप्त किये जाने/खोले जाने की दिनांक को अवकाश रहता है तो निविदा प्राप्त किये जाने /खोले जाने की कार्यवाही स्वतः ही अगले कार्य दिवस को होगी ।
10. न्यूनतम दरों को स्वीकार करने के लिये विभाग बाध्य नहीं है एवं प्राप्त निविदा को अथवा उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है ।
11. कार्य की दर शब्दों एवं अंको में स्पष्ट करना अनिवार्य है । किसी भी स्थिति में कार्य हेतु प्रदत्त की गई दर बदली नहीं जा सकेगी ।
12. कटिंग/ओवर राईटिंग को निविदादाता को स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित करना होगा अन्यथा निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा ।
13. आपसी सहमति से कार्य की अवधि नियमानुसार बढाई जा सकती है ।
14. किसी भी परिस्थिति में कार्य का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा ।
15. भुगतान में किसी भी प्रकार के विलम्ब हेतु किसी भी प्रकार का ब्याज विभाग के द्वारा देय नहीं होगा ।
16. किसी प्रकार के देय कर निविदादाता द्वारा ही अपने स्तर से जमा कराने होंगे ।
17. यदि कार्य सन्तोषजनक नहीं होगा तो बिल राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है । बार–बार शिकायत आने पर 15 दिन का नोटिस देकर प्रतिभूति जब्त करते हुए ठेका निरस्त किया जा सकता है ।
18. निविदा मासिक व्यय के आधार पर वित्तीय वर्ष के बचे शेष माहों के लिए की जानी है एवं निविदादाता को मासिक बिल आगामी माह की 7 तारीख तक प्रस्तुत करने होंगे ।
19. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा ।
20. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा चोरी या कोई नुकसान किये जाने पर उसकी बसूली अनुमोदित निविदाकार से की जावेगी ।
21. आउट सोर्सिंग के आधार पर सेवाओं की आपूर्ति सन्तोषप्रद नहीं होने पर अथवा सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहने पर संविदा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है ।
22. समय– समय पर मशीन/ परियोजनाओं के केम्प बदलने पर किसी भी प्रकार का गाडी भाडा/ यात्रा व्यय प्रभार आउट सोर्सिंग के भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाताओं की होगी ।
23. बिड्स एक वर्ष तक मान्य होगी लेकिन परस्पर सहमति से 50 प्रतिशत तक पुनरावृति की जा सकेगी । बिड्स में अंकित राशि 31 मार्च 2026 तक के लिये है ।
24. बिड प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा । पेन्सिल से भरी बिड पर विचार नहीं किया जायेगा । बिडर, बिड व शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा ।

25. बिडर स्वीकृति संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सोंपेगा या उपभाडे (सबलेट)पर नहीं देगा ।
26. परियोजना केम्प / मशीन कार्यस्थल पर आउट सोर्सिंग कार्य की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं इस कार्य हेतु अनुबन्ध में उल्लेखित दर के अलावा कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी ।
27. छिद्रण विंग बीकानेर जोन के अधीन छिद्रण मशीनें विभिन्न परियोजनाओं पर कार्यरत है । बीकानेर जोन की सीमा में मशीन को किसी भी परियोजना पर शिफ्ट किया जा सकता है । बीकानेर जोन में बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ, चुरू आदि जिले आते है। छिद्रण मशीन/केम्प पर चौकीदारी व लेबर कार्य की सेवाओं के लिये आमंत्रित की जा रही है ।
28. ठेकेदार को किये गये भुगतान में से नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी । इसके अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा । सेवाकर यदि लागू हो तो ठेकेदार द्वारा जमा करवाना होगा और उसकी रसीद प्रस्तुत करनी होगी ।
29. प्रभारी अधिकारी/वैधक प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा व प्रभारी अधिकारी/वैधक प्रभारी को परिस्थितिवश अधिकार होगा कि वह कार्य में कमी/वृद्वि कर सके ।
30. ठेकेदार को जब कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय/ साईट पर बुलवाया जायेगा तो उसको उपस्थित होना होगा
31. ठेकेदार द्वारा दी गई कोई भी अन्य शर्ते मान्य नहीं होगी।
32. किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र बीकानेर शहर ही होगा ।
33. वित विभाग के परिपत्र 2011 दिनांक 4.3.2013 के संलग्न ए.बी.सी. व डी में वर्णित निर्देशों की पालना भी ठेकेदार को सुनिश्चित करनी है ।
34. ठेकेदार द्वारा किये जाने वाले कार्य का निर्धारण/विवरण (SCOPE OF WORK) का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए RTTP ACT AND RULES तथा वित्त विभाग के परिपत्र 1/2018 दिनांक 30.4.2018 एवं 14.11.2018 की पालना सुनिश्चित करें ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम व डाक का पता मय टेलीफोन न0

निविदादाता के हस्ताक्षर

खुली निविदा सूचना संख्या 1/2025–26

निविदा दाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करते है कि मैने/हमने आउट सोर्सिंग के आधार पर कार्य करने के लिए निविदा दी है उनका/उनके मैं/ हम पंजीकृत संस्था/सहकारी समिति/श्रम विभाग से पंजीकृत है ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी उच्च कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभुति को पूर्ण रूप से समपह्रत का लिया जाएगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है,रदद कर दिया जाएगा। इस तरह के मामले में मैं /हम किसी भी नुकसान / दावा करने के हकदार नहीं होगे ।

दिनांकः–

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(यॉ.व छि.) खान एवं भूविज्ञान विभाग
बी–3 / 119, सुदर्शना नगर, पवनपुरी, बीकानेर (राज.)
Email- se.mdbikaner@rajasthan.gov.in Phone No. 0151-2226614

PART-B

निविदा छिद्रण यंत्र आर.डी.30(i), सम परियोजना सम जिला जैसलमेर, आर.डी.60(ii) डेह परियोजना केम्प– डेह जिला नागौर, आर.डी.30(iv) भेड परियोजना केम्प– खींवसर जिला नागौर, एवं पलाना भंडार, पलाना जिला बीकानेर तथा कार्यालय अधी.अभि.(यां. व छि.), खान एवं भूविज्ञान विभाग, बी–3 / 119, सुदर्शना नगर, बीकानेर पर छिद्रण यंत्रों / छिद्रण उपकरणों की चौकीदारी करना व सहायक सेवाऐं मशीन प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य प्रदायगी हेतु की जा रही है। छिद्रण विंग बीकानेर जोन के अधीन छिद्रण मशीनें विभिन्न परियोजनाओं पर कार्यरत है । बीकानेर जोन की सीमा में मशीन को किसी भी परियोजना पर शिफ्ट किया जा सकता है । बीकानेर जोन में बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ, चुरू, जिले आते है ।

मशीनों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है

छिद्रण यंत्र आर.डी.30(I) सम परियोजना, केम्प सम जिला जैसलमेर ।

छिद्रण यंत्र आर.डी.60(II) डेह परियोजना, केम्प– डेह जिला नागौर।

छिद्रण यंत्र आर.डी.30(IV) भेड़ परियोजना, केम्प– खींवसर जिला नागौर।

पलाना छिद्रण भंडार, पलाना जिला बीकानेर ।

कार्यालय अधी.अभि.(यां. व छि.), खान एवं भूविज्ञान विभाग, बी–3 / 119, सुदर्शना नगर, बीकानेर ।

निविदा के नियम एवं शर्ते

1– कार्य कार्यादेशानुसार एवं निविदादाता द्वारा किये गये अनुबन्ध के अनुसार ही होगा ।

2– बोलीदाता द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगाः–

क. स.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा निधि अधिनियम,1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5	आय कर (PAN)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

नोटः– यदि उपरोक्त मे से कोई नियम बोलीदाता पर लागु नही होता है तो इस आशय का अंडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी की उसके पास संबंधित नियमों में पंजीकरण हेतु आवश्यक श्रमिकों की संख्या से कम श्रमिक है । अतः उसे संबंधित नियमों में पंजीकरण की आवश्यकता नही है । प्रारूप संलग्न है । साथ ही एक शपथ पत्र

भी प्रस्तुत करना होगा कि भविष्य में श्रमिकों की निर्धारित संख्या में अधिक श्रमिक होने पर वह पंजीयन करवाकर प्रस्तुत कर देगा व उसके लिये सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा । शपथ पत्र 50/–रू0 के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित करवाकर मूल रूप से संलग्न करना होगा ।

3– निम्न प्रपत्र के अनुसार बोलीदाता को मेनपावर उपलब्ध कराने होंगे एवं उनकों विधि के अनुरूप निम्नानुसार भुगतान करना अनिवार्य होगा :–

क. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी।				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर प्रति व्यक्ति प्रति माह	श्रमिकों की संख्या	राशि		
1	2	3		4	5	6	7
	आउट सोर्सिंग के आधार पर छिद्रण यंत्र/उपकरणों की श्रमिकों द्वारा चौकीदारी एवं अन्य सहायक सेवाऐं	अकुशल–	7410/–	22		नियमानुसार	नियमानुसार

नोटः– यदि कोई प्रावधान लागु ना हो तो पृथक से अंडरटेकिंग कारण सहित संलग्न करना होगा।
छिद्रण विंग बीकानेर जोन के अधीन छिद्रण मशीनें विभिन्न परियोजनाओं पर कार्यरत है । बीकानेर जोन की सीमा में मशीन को किसी भी परियोजना पर शिफ्ट किया जा सकता है । बीकानेर जोन में बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ, चुरू जिले आते है । छिद्रण मशीन/केम्प पर चौकीदारी व लेबर कार्य की सेवाओं के लिये आमंत्रित की जा रही है ।

5– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधनों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित बोलीदाता का होगा ।

6– राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ विभाग को प्रस्तुत करनी होगी।

7– बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बधित बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण विभाग को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। श्रमिकों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण बाबत् विभाग की संतुष्टि होने पर ही बोलीदाता को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

8– श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं बिन्दु सं. 3 के अनुसार श्रमिकों को भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित बोलीदाता/संवेदक का होगा।

9– श्रमिकों को निर्धारित न्युनतम मजदुरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्युनतम मजदुरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर विभाग द्वारा संवेदक को बढी हुई न्युनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

10– बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिससे नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की

पुष्टि में सम्बधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

11– संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक/बोलीदाता का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्युनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने सम्बंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

12– राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

13– संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होंगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह मे जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

14– श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमो, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अर्न्तगत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायित्व होगा।

15– यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

16– नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औधोगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

17– कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।

18– यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किए जाने की शिकायत विभाग को प्राप्त होती है तो विभाग इस संबंध में श्रम विभाग को सूचित करेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगा।

19– अकुशल श्रमिकों की संख्या आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा की जा सकेगी ।

20– निविदा में यदि समान दर आती है तो उस केस में जिस फर्म का टर्न ऑवर ज्यादा होगा उस फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम व डाक का पता मय टेलीफोन न0

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(यॉ.एवं छि.) खान एवं भूविज्ञान विभाग

बी–3 / 119, सुदर्शना नगर, पवनपुरी, बीकानेर (राज.)
Email- se.mdbikaner@rajasthan.gov.in Phone No. 0151-2226614

वित्तीय निविदा प्रपत्र

1. अनुबन्ध पर आउट सोर्सिंग के आधार पर सेवाओं के लिए बिड हेतु खुली बोली सूचना संख्या 1 / 2025–26
2. निविदादाता का नाम, पता व कोन्टेक्ट नं0

   मैसर्स..
3. निविदा शुल्क नकद रसीद संख्या–––––––––दिनांक–––––––––राशि रु. 200 / – जमा करा दिये गये है या डी.डी. कमांक ––––––– दिनांक –––––––––– रु. 200 / –
   –––––––––– (बैंक का नाम) संलग्न कर प्रेषित है।
4. बिड सिक्युरिटी डी.डी. कमांक ––––––– दिनांक ––––––––– रु. ––––––––––––(बैंक का नाम)

   संलग्न कर प्रेषित है।

मैं / हम निम्नानुसार निविदा दरें प्रस्तुत करता हूँ / करते हैं।

कं0 सं0	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी **प्रति व्यक्ति प्रति माह**	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति प्रति माह दर कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं हो)	EPF दर 13 प्रतिशत	ESI दर 3.25% (= कॉलम सं. 5 में अंकित राशि का X 3.25%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (रू में)	GST दर 18 प्रतिशत (=कॉलम सं. 5 में अंकित राशि का x18%)	कुल राशि (रू में) (-5+6+7+8 +9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	आउट सोर्सिंग के आधार पर छिद्रण यंत्र / उपकरणों की श्रमिकों द्वारा चौकीदारी एवं अन्य सहायक सेवाऐं	अकुशल–22	7410 / –		कॉलम सं. 5 में अंकित राशि का 13%	कॉलम सं. 5 में अंकित राशि का 3.25%		कॉलम सं. 5 में अंकित राशि का x18%	

1. खुली बोली निविदा सूचना कमांक. 1/2025–26 दिनांक .... एवं इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तो का अध्ययन, अवलोकन एवं मनन कर लिया है और समस्त शर्तो से सहमत हुँ एवं इन शर्तो की स्वीकृति के कम में शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
2. मेरे द्वारा उक्त दरें सम्पूर्ण बिड डॉक्युमेन्ट पढने के बाद ही कोट की गई है तथा निविदादाताओं के लिये आवश्यक दिशा–निर्देश के अनुसार समस्त दस्तावेज संलग्न कर दिये गये हैं।
3. प्रस्तावित दरें अनुबन्ध की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी। विभाग द्वारा अनुबन्ध की अवधि नियमानुसार बढाई जा सकेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता
नामः
मोबाईल नम्बर

राजस्थान सरकार
कार्यालय,अधीक्षण अभियन्ता(यॉ.एवं छि.) खान एवं भूविज्ञान विभाग
बी–3 / 119, सुदर्शना नगर, पवनपुरी, बीकानेर (राज.)
Email- se.mdbikaner@rajasthan.gov.in Phone No. 0151-2226614

कार्य का विवरण (Scope Of Work)

कार्यालय के अधीन विभागीय छिद्रण परियोजनाओं पर कार्यरत छिद्रण यंत्र निविदा छिद्रण यंत्र आर.डी.30(i), सम परियोजना सम जिला जैसलमेर, आर.डी.60(ii) डेह परियोजना केम्प– डेह जिला नागौर, आर.डी.30(iv) भेड परियोजना केम्प– खींवसर जिला नागौर परियोजनाओं एवं पलाना भंडार, पलाना जिला बीकानेर तथा कार्यालय अधी.अभि.(यां. व छि.), खान एवं भूविज्ञान विभाग, बी–3 / 119, सुदर्शना नगर, बीकानेर पर छिद्रण यंत्रों, छिद्रण उपकरणों जैसे छिद्रण रोडस, कोर बैरल, बिटस, केसिंग पाईप इत्यादि मड पम्प, वाटर टेंकर, ट्रेक्टर, ट्रोली, पानी की टंकियॉ एवं केम्प की चौकीदारी करना ।

2– छिद्रण कार्य हेतु ट्रेक्टर– टैंकर से पानी लाने में मदद करना तथा मड पम्प एवं छिद्रण मशीन को बोर हॉल एवं पिट तक व्यवस्थित रखने में मदद करना ।

3– छिद्रण कार्य के दौरान श्रमिक सम्बन्धित सभी कार्य जैसे छिद्रण रोडस की लोअरिंग एवं पुलिंग का कार्य, छिद्रण रोडस को व्यवस्थित रखना, छिद्रण मशीन की साफ सफाई इत्यादि कार्यो में मदद करना ।

4– छिद्रण कार्य के दौरान प्राप्त कोर को कोर बोक्सों में व्यवस्थित रखवाने में मदद करना।

5– छिद्रण परियोजनाओं पर मशीन प्रभारी / मशीन इंचार्ज के दिये गये सभी निर्देशों की पालना करना ।

6– कार्यालय अधी.अभि.(यां. व छि.), खान एवं भूविज्ञान विभाग, बी–3 / 119, सुदर्शना नगर, बीकानेर में कार्यालय की साफ–सफाई तथा चौकीदार का कार्य करना तथा अधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों की पालना करना ।

7– कार्यालय द्वारा समय–2 पर दिये गये आदेशों की पालना करना ।

मनीष 9/1/26

(मनीष दशोरा)
अधीक्षण अभियन्ता(यॉ.एवं छि)
बीकानेर

मनीष

09/01/26
ADE Jodhpur

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or

(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Scanned with OKEN Scanner

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....In response to their Notice Inviting Bids No..............Dated...............I/we ....hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document Issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Scanned with OKEN Scanner

Annexure C :Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Dy.Secretary Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan.The designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan,Jaipur.

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financialbids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement

(b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations

(d) Cancellation of a procurement process

(e) Applicability of the provisions of confidentiality

Scanned with OKEN Scanner

(5) Form of Appeals:-

a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post orauthorised representative.

(6) Fee for filing Appeal:-

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-
(i) Hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Scanned with OKEN Scanner

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ……………………of…………………

Before the ………………………………………………………(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of Appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s)

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or mission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposed to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

……

……

……….

(supported by an affidavit)

7. Prayer :

……

……

……….

Place………………

Date………………

Appellant's

Signature

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-'D'

ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

1. Correction of Arithmetic Errors:-

Provided that a financial Bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(i) If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price will prevail and the total price will be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted will govern and the unit price will be corrected;

(ii) If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the sub totals will prevail and the total will be corrected; and

(iii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words will prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures will prevail subject to clause (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid will be disqualified and its Bid security will be forfeited or its Bid securing declaration will be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

The quantity mentioned in the Bid is the minimum approximate quantity that the bidder will have to compulsorily supply to specified destination.

(a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit process or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procure less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

(c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity will not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity will be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred will be recovered from the supplier.

3. **DIVIDING QUANTITIES AMONG MORE THAN ONE BIDDER AT THE TIME OF AWARD (IN CASE OF PROCUREMENT OF GOODS):-**

As a general rule all the supply will be taken from successful bidder, whose Bid is accepted, However, when it is considered that the quantity of the subject matter of supply to be supplied is very large and it may not be in the capacity of the bidder,

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

whose Bid is accepted to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose Bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders, in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose Bid is accepted.

Date:
Place:

Signature of Bidder with Seal
Name:
Designation:
Address:

Scanned with OKEN Scanner